

# प्राचार्य का कार्यालय, नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना।

## निविदा आमंत्रण सूचना

नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना के लिये वित्तीय वर्ष 2017 - 18 में केन्द्रीय / विभागीय पुस्तकालय में पढ़ने वाले विभिन्न श्रेणी के पाठकों यथा यूजी० / पी०जी० / सुपर स्पेशलिट सहित विषयों के लिये पुस्तकों एवं जर्नलों के क्रय के लिये G.O.C अहर्ता रखने वाले प्रकाशकों, प्रकाशक, द्वारा प्राधिकृत Distributors, Subscription agent से इस विज्ञापन के समाचार-पत्र में प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर विभागावार पुस्तकों एवं जर्नलों की अलग - अलग सूची दर रहित शील्ड लिफाफे में निर्बंधित स्पीडपोस्ट के माध्यम से कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। विलम्ब से प्राप्त निविदा अमान्य होगा। प्राप्त निर्धारा, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि की अगली तिथि को क्रय समिति के समझ खोली जायेगी। उक्ता तिथि की अवकाश की स्थिति में अगले कार्यदिवस को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समझ निविदा खोली जायेगी, जिसमें निविदादात या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

निविदा की शर्तें

1. पुस्तक विक्रेताओं / Subscription agent के द्वारा पुस्तक सूची में लेखक, शीर्षक, प्रकाशक, अद्यतन संस्करण के साथ - साथ जर्नल के टाईटल का विस्तृत उल्लेख करना होगा।
2. बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 के नियम - 25 एवं G.O.C मानक तथा एमार्सी०आ० आमकों एवं अनुसार पुस्तकों एवं जर्नलों का क्रय किया जायेगा।
3. पुस्तकों एवं जर्नलों को प्रकाशक कैटलग संलग्न करना होगा, जिसमें पुस्तकों एवं जर्नलों की अनुशंसा छात्रों द्वारा किया जायेगा।
4. आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्रकाशक कैटलग संलग्न करने पर क्रमांक 03 में अंकित विभिन्न श्रेणी के चिकित्सकों, शिक्षकों एवं छात्रों के द्वारा अनुशंसित पुस्तकों एवं जर्नलों का क्रय हितु क्रय समिति के द्वारा आपूर्तिकर्ता वाले चयन किया जायेगा।
5. G.O.C सदस्यता प्रमाण पत्र एवं प्रकाशक द्वारा अधिकृत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आपूर्तिकर्ता को अपना पैन नम्बर, अद्यतन आवकर रिट्टन की हायाप्रति प्रस्तुत करना होगा एवं अगर जी०एस०टी० लागता है तो उसका निर्बंध भी देना होगा।
7. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 50,000/- (पचास हजार) का लौंग ड्राफट प्राचार्य के घरनाम से भुगतान संलग्न करना होगा। असफलभूत निविदादाता का अग्रधन लौटा दिया जायेगा।
8. मेडिकल पुस्तक एवं जर्नल का मूल्य सब्सक्रिप्शन के दर से अधिक नहीं होना चाहिए। विषय के साथ आपूर्तिकर्ता को प्रकाशक का दर, मूल्य सूची / कैटलग संलग्न करना होगा।
9. FOR केन्द्रीय पुस्तकालय, नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना होगा। इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
10. चयनित आपूर्तिकर्ताओं को कदम आदेश के बाद केन्द्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों की आपूर्ति तथा पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर Originality प्रमाण पत्र अंकित करना होगा, जिसमें उनके ग्रोपराटर / डायरेक्टर के द्वारा स्वर्ण या प्राधिकृत के उपरांत ही पुस्तक एवं जर्नल स्वीकार किये जायें।
11. विदेशी प्रकाशन में पुस्तक एवं जर्नल का भारतीय मुद्रा में परिवर्तित दर / प्रकाशक दर में देना होगा।
12. भारतीय प्रकाशन में पुस्तक एवं जर्नल का मूल्य / प्रकाशक दर देना होगा।
13. एशिय चिकित्सा पुस्तक एवं जर्नल का भारतीय मुद्रा में परिवर्तित दर, प्रकाशक दर में देना होगा।

14. पुस्तक एवम् जर्नल के लिये कोई अधिक शशि देव नहीं होगा।
15. पुस्तकालय छूट देव होगा।
16. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताएँ किसी भी निविदा को रद्द करने या सामान शर्तों वालों के बीच वितरीत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
17. किसी भी विवाद का न्यायाक्रिक क्षेत्र पठना न्यायालय, पठना होगा।
18. सभी अनुलग्नक हस्ताक्षरित एवम् पृष्ठाक्रित होना चाहिए। मुख्य पृष्ठ कुल अनुलग्नक पृष्ठों की संख्या अंकित होना अनिवार्य है।
19. देशी विदेशी जर्नलों की आपूर्ति करने वाले को ही पुस्तकों के आपूर्ति वा आदेश निर्गत किया जायेगा। इस संबंध में फर्म द्वारा शपथ पत्र संलग्न करना है।
20. प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा फर्म / आपूर्तिकर्ता को काली सूची में नहीं होने एवम् पुस्तकों, जर्नलों का दर प्रकाशीय दर से अधिक नहीं होने का मूल शपथ पत्र संलग्न करना है।
21. जो आपूर्तिकर्ता देशी एवम् विदेशी जर्नल की आपूर्ति करेंगे उन्हें ही पुस्तक आपूर्ति में प्राथमिकता ही जायेगी। इस संबंध में स्वयं उन्हें एक शपथ पत्र समर्पित करना होगा।
22. मेडिकल पुस्तकों एवम् जर्नलों की सूची ग्राचार्य कार्यालय में कार्य दिवस में 01:00 से 04:00 बजे अपराह्न तक निःशुल्क देखा जा सकता है।

२२.७

२२.७  
प्राचार्य

गालंदा मेडिकल कलेज, पठना।

२२.७  
नृसंग ११८